

जनपद- देहरादून, मस्टी नगर पालिका क्षेत्रान्तरि निजी वन योषित बेली कानवेट स्कूल इंस्टी-
में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुरुषाण स्तर ठीकानाम काला, निवासी-
सुगा निवास, हनाम तिह राड, मस्टी, डिला- देहरादून के स्थानित की कुल 408.76 वर्ग
मीट भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मीट अधिकत 0.014113 है शेत्र में प्रस्तावित आवासीय
मध्य निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शृंगपत्तावर्तन की पुरानुमति लिए
जाने का प्रस्ताव.

संलग्नक— 07

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैयानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भौति रहित या आरहित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रस्तावत भूमि का उत्थान केवल कठित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कठापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरोक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि चूनातम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा रेकेवर वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उत्तम उत्तरण करता है। जिसके बायक विभाग सहमत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने बायक की भी सम्बन्धित वनाधिकारी की देस-खेब में जारयेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये युनारे आदि सभी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरोक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई अपत्ति नहीं होगा।
8. बड़सूत्र वन सम्पदा से आद्वादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाया। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की भागिता एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्त विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिवाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसारियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्त जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्तर बिना किसी प्रकार के प्रतिक्र का भुगतान किये वन विभाग को बापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न होने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिक्र के भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेट तथ्य होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांगनीविं द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सांगनीविं के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वत क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पर योग्य 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निवात आदेशों का पालन भी सांगनीविं द्वारा किया जायेगा कि अस्वार्मा बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होना जो याचक विभाग को मात्र होगा।

योजना का नाम- जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व0 टीकाराम काला, निवासी-सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला- देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी0 भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी0 अर्थात् 0.014113 है0 क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पवका करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त याचक को मान्य है।



(मनोज कुमार काला)
पुत्र स्व0 टीकाराम काला,
निवासी- सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़,
मसूरी, जिला- देहरादून।